सत्र प्रकरण क्रमांक– 65/2022 पक्षकार राज्य वि0 पिंकु दास V-181

Cr.J.

Witness No ....06........... for .... **अभियोजन** ....deposition taken this 07/01/2025………day of........ **मंगलवार** ....witness's apparent age **64 वर्ष**

State on affirmation........ **शपथ पूर्वक** ....my name is **कमचरण सिंह ठाकुर**

son of- **स्व0 सुखासिंह ठाकुर** Occupation **सेवानिवृत्त (उपनिरीक्षक)**

address- **ग्राम– हाउरनार, थाना– गीदम, जिला– दंतेवाड़ा (छ0ग0)**

समय– 11:55 बजे

मुख्य परीक्षण व्दारा श्री श्रीनिवास रथ, अतिरिक्त लोक अभियोजक वास्ते शासन

1– मै सितम्बर 2021 से दिसम्बर 2023 तक थाना बोधघाट में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था।

2– थाना बोधघाट के अपराध क्रमांक– 199/2022 अंतर्गत धारा– 392,294,323,341/34 भा.द.सं की केस डायरी विवेचना हेतु मुझे प्राप्त होने पर मेरे द्वारा प्रार्थी टी0 पवन कुमार के चिकित्सीय परीक्षण हेतु महारानी अस्पताल भेजे जाने हेतु आवेदन पत्र तैयार किया था, जो **प्र0पी0 09** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है, परंतु प्रार्थी ने अपना चिकित्सीय परीक्षण करने से इंकार किया था।

3– मेरे द्वारा प्रार्थी के बताये अनुसार घटना स्थल का निरीक्षण कर नजरी नक्शा **प्र0पी0 10** तैयार किया था, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

3– मेरे द्वारा शशांक श्रीरामलु को धारा– 160 द्र.प्र.सं. का सूचना पत्र **प्र0पी0 02** प्रेषित किया था, जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4– मेरे द्वारा आरोपी पिंकु दास को अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध किया था, जिसमें उसने बताया था कि उसने मोबाईल एवं चाकू को अपने जेब में रखा है मेमोरेण्डम कथन **प्र0पी0 03** है जिसके ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

5– मेरे द्वारा आरोपी पिंकु दास के निशान देही पर एक नग एप्पल कंपनी का आई फोन जिसमें एयरटेल कंपनी का सिम 9989401424 लगा था एवं एक नग लोहे का चाकू जप्ती पत्र **प्र0पी0 4** के अनुसार जप्त किया था जप्ती पत्र **प्र0पी0 04** के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

6– मेरे द्वारा प्रार्थी टी0 पवन कुमार, साक्षी शंशाक श्रीरामलु का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था।

7— मेरे द्वारा तहसीलदार जगदलपुर को घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदाय करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था, उक्त पत्र प्रकरण में संलग्न नहीं है, जिसके पालन में तहसीलदार जगदलपुर के द्वारा घटना स्थल का पटवारी नक्शा एवं पंचनामा तैयार कर थाना प्रभारी बोधघ ाट को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जो प्रकरण में सलंग्न है।

8— मेरे द्वारा दिनांक— 07.09.2022 को पत्र क्रमांक— 2246 के माध्यम से माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर को अभियुक्त की पहचान की कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया था, जो **प्रपी0 11** है,जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

9— प्रकरण में अभियुक्त की पहचान की कार्यवाही नायब तहसीलदार के द्वारा कराई गई थी, मेरे द्वारा अभियुक्त पिंकु दास को विधिवत् गिरफतार किया गया था, गिरफतारी पत्रक **प्र0पी0 05** के ब से ब भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मेरे द्वारा गिरफतारी की सूचना अभियुक्त के परिजनो को प्रदान की गई, जो **प्र0पी0 12** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

10— मेरे द्वारा अभियुक्त पिंकु दास के विरूद्ध विवेचना पूर्ण करने के पश्चात् धारा— 392,397,341,294,323/34 भा.द.सं का अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा प्रकरण में संलग्न अपचारी बालक के विरूद्ध किशोर न्याय बोर्ड जगदलपुर में पुरक चालान प्रस्तुत किया गया था।

प्रतिपरीक्षण व्दारा श्री बीरेन्द्र बहोते अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त

11— यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा जप्ती, गिरफतारी की कार्यवाही गवाहों के समक्ष नहीं की गई थी। यह कहना गलत है कि मैने माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर के अनुमति के बिना पहचान कार्यवाही कराया था। यह कहना गलत है कि मैने प्रार्थी एवं गवाहों का बयान उनके बताये अनुसार लेखबद्ध नहीं किया था। यह कहना गलत है कि मै घटना स्थल पर बिना गये नजरी नक्शा तैयार किया है। यह कहना गलत है कि मैने गवाहों के समक्ष अभियुक्त का कोई मेमोरेण्डम कथन दर्ज नहीं किया है।

समय— 12:15 बजे

वाचित सत्य एवं स्वीकृत ।	**मेरे निर्देशन पर टंकित ।**
सही/—	**सही/—**
(अजय सिंह राजपूत)	**(अजय सिंह राजपूत)**
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश	**प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश**
बस्तर स्थान— जगदलपुर	**बस्तर स्थान—जगदलपुर**

(साक्षी के हस्ताक्षर)